

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:- 85/09

दायर दिनांक:- 25.05.09

जीसीएमएस नं. 2009/00119

उनवान

प्यारेलाल पुत्र कन्हैया जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान

—वादी

बनाम

हरज्ञान पुत्र रामहंस जाति जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन जिला करौली

—प्रतिवादीगण-12

दावा बाबत इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 8-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 136, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एव वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एव वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एव वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 30.05.2024 से संशोधित टाईटल में विचाराधीन चल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एव वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 85/09 प्यारेलाल बनाम हरज्ञान अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली